

(निःशुल्क)

35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्र।

1-दम्पत्ति का विवरण:-

(क) पति का पूरा नाम.....पिता का नाम.....
 निवासी.....पो.....जिला-हरिद्वार
 आयु.....जाति.....व्यवसाय.....

दम्पत्ति का
नवीनतम
संयुक्त फोटो

(ख) पत्नि का नाम श्रीमती.....पिता का नाम.....
 निवासी.....पो.....जिला-हरिद्वार
 आयु.....जाति.....व्यवसाय.....

2-इस विवाह से पूर्व विधवा से सम्बन्धित विवरण:-

(क) पूर्व पति का नाम.....पिता का नाम.....निवासी.....
 पो.....जिला.....विवाह की तिथि.....
 (ख) पूर्व पति की मृत्यु दिनांक.....(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3-अन्य विवरण:-

(क) क्या पति का पूर्व में विवाह हुआ था.....
 (ख) यदि हाँ तो विधवा से विवाह करने का कारण.....
 (ग) दम्पत्ति का वर्तमान व्यवसाय.....
 (घ) संयुक्त खाता संख्या.....बैंक का नाम व स्थान.....

हस्ताक्षर/मोहर
ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य

हस्ताठ/अंगूठा निशानी पत्नी.....

कार्यालय तहसीलदार.....जिला-हरिद्वार की जॉच के प्रयोगार्थ।

क्षेत्रीय लेखपाल की जॉच आख्या पर प्रमाणित किया जाता है कि:-

1-श्रीमती.....के पूर्व पति स्व0 श्री.....पुत्र श्री.....
 निवासी.....पो.....जनपद.....
 की मृत्यु दिनांक.....को हो गयी है।

2-श्रीमती.....ने श्री.....पुत्र श्री.....निवासी
पो.....जनपद हरिद्वार से हिन्दू रीति रिवाज/मुस्लिम

रीति रिवाज के अनुसार दिनांकको पुनः विवाह किया है। (विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3-श्रीमती.....की आयु.....वर्ष तथा श्री.....की आयु.....वर्ष है।

4-श्रीमती.....की मासिक आय रु0.....तथा श्री.....की मासिक
आय.....रुपये प्रतिमाह है।

5-पति तथा पत्नि आयकर दाता है/ नहीं है तथा विधवा से विवाह करने के अन्तर्गत दम्पत्ति पुरस्कार पाने के
लिए पात्र/अपात्र है। पुरस्कार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है/ नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर/मोहर
क्षेत्रीय लेखपाल

हस्ताक्षर/मोहर
तहसीलदार